चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 107वीं की कार्यवाही ।

दिनांक: 27 नवम्बर, 1998 **स्थान: गोमती होटल, लखनऊ**

समय: 11.00 बजे पूर्वान्ह

उपस्थिति:

1–	डा0 राम नाथ कुलपति	– अध्यक्ष
2–	श्री केशव देसिराजु, कृषि सचिव	– सदस्य
3–	श्री चक्रपाणि संयुक्त सचिव वित्त	– प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि
4–	डा0 ए0के0 सिहं, निदेशक पशुपालन	– सदस्य
5–	डा0 आर0के0 एस0 चौहान, कृषि निदेशक	– सदस्य
6–	श्री बाल चन्द्र मिश्र विधायक	– सदस्य
7–	डा0 हरि गोविन्द सिहं	– सदस्य
8–	डा0 ए0के0 अवस्थी	– सदस्य
9–	श्री जगदेव प्रसाद, अर्थ नियंत्रक	– सचिव

प्रबन्ध मण्डल की 107वीं बैठक की कार्यवाही कुलपति एवं अध्यक्ष के प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के स्वागत एवं विश्वविद्यालय में किये गये विकास कार्यो के विवरण के साथ प्रारम्भ हुयी । श्री बाल चन्द्र मिश्र ने यह प्रश्न उठाया कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 06.01.98 के बाद दिनांक 27.11.98 को इतने अन्तराल के बाद क्यों आहूत की गयी जबकि दो माह के अन्तराल पर प्रबन्ध मण्डल की नियमित बैठक किये जाने का प्राविधान है । प्रबन्ध मण्डल की बैठक इसलिये अब तक टाली गयी कि प्रबन्ध मण्डल के निर्णयों एवं आदेशों का क्रियान्वयन भली प्रकार न हो । श्री बाल चन्द्र मिश्र ने बताया कि प्रबन्ध मण्डल की यह बैठक कोर्ट के निर्देशानुसार बुलाई गई है वर्ना बुलाई नहीं जाती । अध्यक्ष/कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय अधिवक्ता, कोर्ट या वादी द्वारा बैठक बुलाने सम्बन्धी कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुये हैं । प्रबन्ध मण्डल की बैठकें समय पर अवश्य की जायं ऐसे निर्देश दिये गये ।

अध्यक्ष एवं कुलपति ने प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विलम्ब का कारण बाढ़, अभूतपूर्व मौसम तथा परिस्थितियां, फसलों की बीमारियां, अर्थ नियंत्रक का असहयोग एवं उनका कार्यमुक्त किया जाना बताया परन्तु फिर भी अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल की बैठकें समय पर बुलाये जाने का आवश्वासन दिया ।

मद सं0–1: प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 06.01.98 का सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने दिनांक 06.01.98 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन निम्नलिखित संशोधन के साथ किया कि कार्यवृत्त के मद सं0–1 के पूरक–7 की कार्यवाही के पृष्ठ–3 के ऊपर से छठीं पंक्ति में **"चयनोपरान्त"** जोड़कर इस प्रकार पढ़ा जाय ।

चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पदनाम प्रभावी होंगे और अध्यापकों की वरिष्ठता विश्वविद्यालय के परिनियामों द्वारा निर्धारित होगी ।

मद सं0–2: प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 06–01–98 को सम्पन्न हुयी बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही ।

मद सं0–3: डा0 आर0पी0 सिंह, प्रोफेसर, पोल्ट्री साइंस को दिनांक 06–07–96 से 2 वर्ष अथवा इससे पूर्व सेवा निवृत्ति की तिथि जो भी पहले हो, के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव ।

प्रस्ताव में चर्चा के मध्य श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि प्रबन्ध मण्डल के निर्णय के अनुसार कार्यवाही नहीं की गयी । प्रबन्ध मण्डल के निर्णय के विपरीत डा0 आर0पी0 सिंह की प्रतिनियुक्ति 30–06–98 तक बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं था । निर्देश दिये गये कि महामहिम राज्यपाल के आदेश का सम्मान किया जाय और प्रतिनियुक्ति की पूर्ण स्थिति बैठक में रखी जाय ।

मद सं0–4: डा0 एम0 साबिर, आचार्य, फार्माकोलॉजी पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा को स्वास्थ्य मन्त्रालय, कुवैत में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष का असाधारण अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति का प्रस्ताव।

कृत कार्यवाही पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि डा0 साबिर ने निर्धारित तिथि के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो उन्हें show cause नोटिस प्रेषित की जाय कि क्यों न उनकी सेवा समाप्त कर दी जाय । नोटिस देकर सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाय । प्रबन्ध मण्डल के निर्णय के सम्बन्ध में सभी पत्रजात एवं पत्रावलियां बैठक के समय अवश्य लायी जाय ।

मद सं0–5: कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में रिक्त पदों पर नियुक्तियां न हो पाने के कारण उत्पन्न समस्या पर विचार ।

कृत कार्यवाही पर विचार करते समय सदस्यों ने पाया कि प्रबन्ध मण्डल के निर्णय के अनुसार महामहिम कुलाधिपति को पत्र भेजा ही नहीं गया । अतः पत्र भेजा जाय । निर्णय का अनुपालन न करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुध्द कार्यवाही की जाय और प्रबन्ध मण्डल की अगली बैठक में प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया जाय ।

पूर्ण तैयारी के अभाव में प्रबन्ध मण्डल ने बैठक स्थगित करते हुये निर्देश दिया कि स्थगित बैठक दिनांक 08–12–98 को गोमती होटल, लखनऊ में 11.00 बजे आहूत की जाय ।

राम नाथ
कुलपति/अध्यक्ष

जगदेव प्रसाद
अर्थ नियन्त्रक/सचिव